Order Sheet [Contd] Case No 81/2017 बी.ए

	Case No 81 / 201/ बा.ए	
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
गुर्जर अधिव राज आ धारा 307, अ नियमित ज निवेदन कि आधार पर उक्त अपरा कि प्रार्थी के नहीं करने ओ.पी गोहत पक्षों को पंच उक्त झूठे मारना फरि कोई घटना माननीय उच्च का है। समानता के किया है। एक्या गया। 09.2016 के खेत को ज नाथूसिंह, त सहित अन्य गलोज कर	वेदक / आरोपी लला उर्फ रामनरेश की ओर से श्री जी०एस० किता। य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। रक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड की ओर से अप०क० 256/16 294, 506, 34 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश। वेदक / आरोपी की ओर से अधि. श्री जी०एस०गुर्जर द्वारा प्रथम मानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० का पेश कर या कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा विरोधियों की झूटी रिपोर्ट के आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबिक ध से उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है। वास्तविकता यह है के भानेज भूपेन्द्र को उसके परिवार के लोग / फरियादीगण खेती देते है और विवाद करते है। जिस संबंध में उसके द्वारा उसते अपराध में आवेदनपत्र दिया गया है। आवेदक के द्वारा उक्त दोनों वायत में समझाया गया था। जिस कारण फरियादी के द्वारा जोली यादी के द्वारा बताया गया है। आवेदक के द्वारा किसी प्रकार की वारित नहीं की है। प्रकरण में सहआरोपी भूपेन्द्रसिंह को व्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा जमानत पर छोड़ा जा आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आधार पर आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन के आधार पर आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन के शि ओर से अपर लोक अभियोजन ने जमानत आवेदनपत्र का इए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। रोकत संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन। फरियादी जितेन्द्रसिंह की रिपोर्ट के आधार पर कि दिनांक 16. हो शाम के 5 बजे उसके परिवार के अतेन्द्रसिंह बगैरह उसके जबरन जोत रहें थे तो उनको रोकने के लिए उसका भाई गऊ का लड़का वकील सिंह गए तो वहाँ पर वर्तमान आवेदक या सहआरोपी अतेन्द्रसिंह, भूपेन्द्र, राजेन्द्रसिंह अश्लील गाली ने लोन और भूपेन्द्र ने कहा कि आज घेर लो सालों को, तभी अतेन्द्रसिंह ने अपनी लाइसेंसी रायफल से जान से मारने की	A THIER TO A STATE OF THE PARTY

नियत से गोली चलाई जो कि नाथूसिंह के सिर में लगी वह गिर पडा, अन्य सहआरोपी राजेन्द्रसिंह ने भी अपनी रायफल से गोली चलाई। सभी आरोपीगण गाली गलोज करते हुए बोले कि आइंदा खेत की तरफ दिखे तो जान से खत्म कर देगें। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 307, 294, 506बी, 34 भा.द.वि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा सहआरोपी भूपेन्द्र की जमानत एम.सी.आर.सी. क्रमांक 748/2017 दिनांक 03.02. 2017 में स्वीकार की जा चुकी है। जिससे कि वर्तमान आवेदक/आरोपी लल्ला उर्फ रामनरेश पर लगाया गया आक्षेप निम्न प्रकृति का है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वर्तमान आवेदक के संबंध में अन्य सहआरोपीगण के साथ घटनास्थल पर मौजूद होना और मात्र माँ बहन की गालियाँ देने के संबंध में आक्षेप है। उसका कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड होना भी दर्शित नहीं होता है। आरोपी दिनांक 16. 02.2017 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

विचारोपरांत जबिक वर्तमान आवेदक पर लगाए गए आक्षेप सहआरोपी भूपेन्द्र जिसे कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा एम.सी.आर.सी. कमांक 748/17 दिनांक 03.02.2017 द्वारा जमानत पर छोडा गया है से निम्न श्रेणी का है। इस परिप्रेक्ष्य में मनोहर वि० स्टेट ऑफ एम.पी. 2007(3) एम.पी.एस.टी. 349 को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक समानता के आधार पर जमानत की पात्रता रखता है। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए आदेश किया जाता है कि आवेदक के द्वारा संबंधित कमिटल मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य –50000/— रूपए की समक्ष जमानतें एवं 50,000/— रूपए का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोडा जावे।

- शर्तः— 1. आवेदक जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
- आवेदक विवेचना एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
- 3. अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित, प्रलोभित नहीं करेगा और उन्हें डराएगा धमकाएगा नहीं।
- 4. आरोपी इसी प्रकार के अथवा किसी अन्य अपराध में संलग्न नहीं रहेगा।
- विचारण के दौरान अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

